



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 502]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 22, 1976/अग्रहायण 1, 1898

No. 502]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 1976/AGRAHAYANA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November 1976

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and eighteenth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. In the second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)",

(a) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIBHAG)", for entry 19, the following entries shall be substituted, namely:—

"19. Price control of agricultural commodities except foodgrains, sugar, vana-pati, oil seeds, vegetable oils, cakes and fats, Jute, Cotton and Tea.

19A. Production of Oil Seeds.";

(b) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)",

(i) for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—

"6. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other food-stuffs including sugar.";

(ii) for entry 7, the following entry shall be substituted, namely:—

"7. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest as far as these relate to food (including fruit) processing industries, sugar (including development of gur and Khandsari).";

(iii) for entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"9. Trade and commerce in and the production, supply and distribution of sugar and foodstuffs other than foodgrains.";

(iv) for entry 10, the following entry shall be substituted, namely:—

"10. Price control of foodgrains, foodstuffs and sugar.";

(v) for entry 11(ii), the following entry shall be substituted, namely:—

"11(ii) Directorate of sugar, New Delhi.";

(2) under the heading "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)", after entry 20, the following entries shall be added, namely:—

"21. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

22. Price control of and inter-State trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

23. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats."

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/6/76-CF]

R. M. AGRAWAL, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(मंत्रिमण्डल कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1976

का० प्रा० 748 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सी अठारहवां संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये दुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बाटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(1) “कृषि और सिंचाई मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत,

(क) “क. कृषि विभाग” उप-शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“19. खाद्यान्न, शर्करा, बनस्पति घी, तिलहन, बनस्पति तेल, खली और बसा, पटसन, कपास और चाय के सिवाय, कृषि वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण।

19क. तिलहन का उत्पादन।” ;

(ख) “ख. खाद्य विभाग” उप-शीर्षक के अन्तर्गत,

(i) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“6. खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में, जिसमें शर्करा भी आती है, अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य।” ;

(ii) प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“7. वे उद्योग जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक उनका सम्बन्ध खाद्य (जिसमें फल भी आते हैं) संसाधन उद्योगों, शर्करा (जिसमें गुड़ और खंडसारी का विकास भी आता है) से है।” ;

(iii) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“9. शर्करा का और खाद्यान्नों से भिन्न खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन पूर्ति और वितरण।” ;

(iv) प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“10. खाद्यान्नों, खाद्य पदार्थों और शर्करा का मूल्य-नियंत्रण।” ;

(v) प्रविष्टि 11(ii) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“11 (ii). शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली।” ;

(2) “नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय” शीर्षक के अन्तर्गत, प्रविष्टि 20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“21. वे उद्योग, जिनके लिए संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध बनस्पति घी, तिलहन, बनस्पति, तेलों, खली और बसा से है।

22. वनस्पती घी, तिलहन, वनस्पति तेलों और बत्ता का मूल्य-नियंत्रण,
और अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य तथा पूर्ति और वितरण ।
23. वनस्पति घी, वनस्पति तेल और बत्ता निदेशालय ।” ।

फ़ख़रुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रमति ।

[सं० 74/2/6/76-सी० एक०]

भार० एम० अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976